

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-3

संख्या- 17/2017/1936/37-3-2017-3(29)/2009टी0सी0 (आजमगढ़)

लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर, 2017

### कार्यालय-आदेश

डॉ० के०डी० प्रसाद, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, तरवों, आजमगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ में पशुधन प्रसार अधिकारियों के विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन/भर्ती के लिए चयन मण्डल के सदस्य के रूप में 34 पदों के सापेक्ष 41 पदों पर चयन की संस्तुति करने एवं फर्जी खेलकूद प्रमाण-पत्रों के आधार पर अंकों का लाभ 04 अभ्यर्थियों को अनियमित रूप से प्रदान करने आदि आरोपों के लिए शासन के कार्यालय-आदेश संख्या-297/37-1-2017-3(29)/2009, दिनांक 20-01-2010 द्वारा ३०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए, निदेशक, पशुपालन विभाग को जाँच अधिकारी नामित किया गया।

2- जाँच अधिकारी की जाँच आख्या उनके पत्र संख्या-128/स्था०-३/५३बी(626), दिनांक 22-02-2013 द्वारा शासन को प्राप्त हुई। जाँच अधिकारी द्वारा जाँच में डा० के०डी० प्रसाद पर लगाये गये आरोपों को सिद्ध पाया गया। अतः सिद्ध पाये गये आरोपों के विषिगत शासन के पत्र संख्या-1643/37-1-2017-3(29)/2009टी०सी०, दिनांक 06-06-2013 द्वारा डा० प्रसाद का अभ्यावेदन माँगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 11-07-2013 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ।

3- जाँच अधिकारी की जाँच आख्या, सिद्ध पाये गये आरोपों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय-आदेश संख्या-518/37-3-2016-3(29)/2009टी०सी०(आजमगढ़), दिनांक 13-07-2016 द्वारा डा० के०डी० प्रसाद, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, तरवों, आजमगढ़, सम्प्रति सेवानिवृत्त की एक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकने का दण्ड देते हुए उनके विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये।

4- शासन के कार्यालय-आदेश दिनांक 13-07-2016 के विरुद्ध डा० प्रसाद का प्रत्यावेदन दिनांक 04-06-2017 शासन को प्राप्त हुआ। डा० प्रसाद द्वारा अपने प्रत्यावेदन में शासन के उक्त कार्यालय-आदेश द्वारा दिये गये दण्ड को इस आधार पर निरस्त करने का अनुरोध किया गया है कि आजमगढ़ मण्डल में पशुधन प्रसार अधिकारियों के विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन/भर्ती के लिए गठित चयन समिति के सदस्य के रूप में उन्हें केवल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने हेतु दिनांक 27-06-2006 को आमंत्रित किया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

था, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा दिनांक 28, 29 एवं 30 जून, 2006 को साक्षात्कार लेकर पृथक से अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किये गये। साक्षात्कार से पूर्व ही अभ्यर्थियों को उनके शैक्षिक योग्यता एवं खेलकूद प्रमाण-पत्रों के आधार पर उनकी स्कूलनी (सूक्ष्म परीक्षण) की जा चुकी थी तथा जो अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता एवं खेल-कूद प्रमाण-पत्रों के आधार पर उपयुक्त पाये गये थे, उन्हीं को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया था। डा० प्रसाद के प्रत्यावेदन दिनांक 04-06-2017 पर सम्यक् परीक्षणोंपरान्त यह पाया गया कि शासन के कार्यालय-आदेश दिनांक 13-07-2016 द्वारा दिये गये दण्ड पर पुनर्विचार/निरस्त करने का कोई पर्याप्त आधार/औचित्य नहीं है। इस प्रकार डा० प्रसाद द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन, दिनांक 04-06-2017 को बलहीन पाये जाने के कारण शासन द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

5- अतः एतद्वारा श्री राज्यपाल महोदय डा० के०डी० प्रसाद, तत्कालीन पशु चिकित्सा अधिकारी, तरवों, आजमगढ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध आजमगढ मण्डल, आजमगढ के प्रत्यावेदन, दिनांक 04-06-2017 को बलहीन (औचित्यहीन) पाये जाने के कारण निरस्त किये जाने की अनुमति/आदेश प्रदान करते हैं।

डा० सुधीर एम० बोबडे  
प्रमुख सचिव।

**संख्या- 17/2017/1936 (1)/37-3-2017, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक ग्रेड-२, पशुपालन विभाग, आजमगढ मण्डल, आजमगढ।
- 5- डा० के०डी० प्रसाद, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, तरवों, आजमगढ सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ।
- 6- पशुधन अनुभाग-१,
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

वेदप्रकाश सिंह राजपूत  
उप सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।